

**निविदा विज्ञापित**

**वर्ष 2017-18 के लिये, पन्ना जिले की निष्पादन से शेष रही देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का ई-टेंडर द्वारा निष्पादन**

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 भोपाल बुधवार दिनांक 18 जनवरी 2017, आबकारी आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर के पत्र क्र0 7-ठेका/2017-18/31 कैम्प भोपाल, दिनांक 20.01.2017 एवं पत्र क्रमांक/आब./ठेका/2017-18/522 ग्वालियर, दिनांक 23.03.2017 के अनुसार, सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार अनुमोदित व्यवस्था एवं वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती है, कि पन्ना जिले में नवीनीकरण/लॉटरी एवं ई-टेंडर चतुर्थ चरण दिनांक 22.03.2017 के द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के उपरान्त निष्पादन से शेष रही 01 देशी मदिरा एवं 01 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों जो कुल 01 एकल समूह (मडला एफ-11) में है, का वर्ष 2017-18 के लिये अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, तक की अवधि के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य पर दिनांक 25 मार्च 2017 से 28 मार्च 2017 को दोपहर 3:30 बजे तक म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के पोर्टल [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) पर ई-टेंडर आमंत्रित कर कलेक्टर पन्ना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा दिनांक 28.03.2017 दिन मंगलवार को सायंकाल 04:30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक निष्पादन किया जायेगा। निष्पादन की शर्तों एवं प्रक्रिया संबंधी मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2017 को वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।

ई-टेंडर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत (सेलपेपर) एवं ड्यूटी की दर, ई-टेंडर प्रपत्र क्रय करने, भरने तथा जमा करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के पोर्टल ([www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in)) पर उपलब्ध रहेगी। इच्छुक टेंडरदाता उक्त पोर्टल से ही ई-टेंडर फार्म डाउनलोड तथा भरा हुआ फार्म संलग्नकों सहित अपलोड कर सकेंगे। ई-टेंडर के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों, आदि की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी पन्ना से भी कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों सहित) प्राप्त की जा सकती हैं।

ई-टेंडर द्वारा वर्ष 2017-18 के लिये मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु टेंडरदाता को धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि ई-टेंडर ऑफर के साथ पन्ना जिले के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक केश ऑर्डर के रूप में अथवा म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के पोर्टल ([www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in)) पर ऑन लाईन जमा करानी होगी।

**ई-टेंडर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम**

1.	ई-टेंडर हेतु ऑन-लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियां ।	दिनांक 25 मार्च 2017 को प्रातः 12:00 बजे से 28 मार्च 2017 दोपहर 2:00 बजे तक ।
2.	ऑन-लाईन ई-टेंडर ऑफर सबमिट करने का समय एवं तिथि ।	दिनांक 28 मार्च 2017 दोपहर 03:30 बजे तक ।
3.	जिला समिति द्वारा ई-टेंडर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय।	कलेक्टर पन्ना के सभाकक्ष में दिनांक 28 मार्च 2017 को सायंकाल 04:30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक ।

नवीनीकरण/लॉटरी एवं ई-टेंडर चतुर्थ चरण दिनांक 22.03.2017 के द्वारा निष्पादन के पश्चात् शेष रही 01 देशी मदिरा एवं 01 विदेशी मदिरा दुकान के 01 (एक) समूह मडला एफ-11 का आरक्षित मूल्य, उनका स्थान, ई-टेंडर आवेदन पत्रों का मूल्य, संबंधित मदिरा दुकानों की 09 माह की खपत एवं ई-टेंडर के साथ जमा की जाने धरोहर राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	मदिरा दुकान/एकल समूह का क्रमांक व नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों का नाम/प्रकार	वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य	देय धरोहर राशि (कॉलम 4 का 5 प्रतिशत)	ई-टेंडर प्रपत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (कॉलम 5 का 50 प्रतिशत)	मदिरा दुकान का स्थान (Location) (राजभागी नगर निगम अथवा अन्य नगर निगम / नगरपालिका अथवा नगर पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र)	वर्ष 2016-17 के प्रारंभिक 9 माह की खपत		ई-टेंडर प्रपत्र का मूल्य (रुपये में)
							देशी मदिरा/विदेशी (फुल्लो)	विदेशी मदिरा बीयर (बोलो)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पन्ना/एफ-11 मडला समूह	वि.म.दु. मडला	7064971	353249	176624	ग्रामीण क्षेत्र	8639.50	8480.40	10000
		दे.म.दु.मडला	2872860	143643	71822	ग्रामीण क्षेत्र	7535.25	-	10000
		योग	9937831	496892	248446		16174.75	8480.40	20000

यह विशेष रूप से उल्लेखित किया जाता है कि टेंडरदाता ई-टेंडर के लिए यदि ऑफ लाइन धरोहर राशि जमा करने का विकल्प चुनते हैं तो ऑफ लाइन धरोहर राशि का बैंकिंग इंस्ट्रुमेंट निर्धारित कार्यक्रम अनुसार टेंडर खोलने की तिथि एवं समय के पूर्व अनिवार्यतः जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा अन्यथा धरोहर राशि के विधिवत प्राप्त न होने पर संबंधित टेंडर ऑफर नहीं खोला जायेगा।

नोट :- राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति :-

माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164-12166 /2016 में पारित आदेश के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 01.04.2017 से यह पालन करना अनिवार्य होगा कि -

- 1) मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे (Outer edge) से 500 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित नहीं होंगी।
- 2) मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से दृश्यमान नहीं होगी।
- 3) मदिरा की उपलब्धता को इंगित करने वाला कोई साईन बोर्ड अथवा विज्ञापन राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर निषिद्ध रहेगा।
- 4) मदिरा की कोई दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से सीधे पहुंचन के योग्य (Directly accessible) नहीं होगी।



कलेक्टर


जिला पन्ना (म0प्र0)

पन्ना दिनांक 22/03/2017

पृ0क्र0/875/आब/टेका/2017-18

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वाणिज्यकर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आबकारी आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ।
5. उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना की ओर सूचनार्थ।
7. सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी जिला ..... की ओर सूचनार्थ।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ....., जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, (एन.आई.सी.) पन्ना की ओर जिले की वेबसाईड में अपलोड करें।
10. सहायक संचालक जन सम्पर्क पन्ना की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।
11. सहायक जिला आबकारी अधिकारी पन्ना उपरोक्त विज्ञापित (निष्पादन योग्य एकल समूहों की सूची सहित) का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित करें।
12. आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पन्ना, अजयगढ़, एवं पर्वई की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।
13. मद्यभांडागार अधिकारी पन्ना/अमानगंज की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।

  
कलेक्टर

जिला पन्ना (म0प्र0)